समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

सख्या–...499.../भू–अ0,

दिनांक 30.07.201

चूंकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–डखराम चादर नं0–03, राजस्व थाना–बहेड़ा, थाना–बेनीपुर, थाना नं0–142, अंचल–बेनीपुर, जिला–दरभंगा में कुल–0.71 एकड़ यानि–0.287 हेक्टेयर** भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, **परियोजना– राज्य उच्च पथ संख्या–88 वरूणापुल (एन0एच0–103) रसियारी पथ हेतु चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य के लिए भू–अर्जन अर्न्तगत सड़क निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा निम्न है :– **यह परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इसके निमित्त भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है।** भू–अर्जन के कारण कुल शून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–डखराम चादर नं0–03, राजस्व थाना–बहेड़ा, थाना–बेनीपुर, थाना नं0–142, अंचल–बेनीपुर, जिला–दरभंगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश–0.71 एकड़ यानि–0.287 हेक्टेयर** मानक माप का भू–खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	224	3226	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.03	रामकला देवी, पति–जितू तांती, साकिन–मसौढ़ा				
2	162	3236	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.075	सुरेश तांती, किशुन तांती, पिता–श्रवण तांती वगैरह				
3	72	3238	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.065	रामसेवक दास, पिता–रामस्वरूप दास				
4	1648	3234	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.105	शिव तांती, पिता–रघु तांती				
5	1701	3241	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.025	कैलू दास, पिता–गोपाल दास, जीवछ दास, पिता–स्व0 जनक दास				
6	1126	3242	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.03	जीतू दास, पिता– मनोज दास, राम दास, पिता–रामलाल दास वगैरह				
7	1664	3243	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.095	सुदामा देवी, पति–जनक तांती				
8	1648	3250	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.07	कालीकान्त झा वो कमलाकान्त झा, पिता–स्व0 लक्ष्मी ना0 झा				
9	1648	3249	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.10	कालीकान्त झा वो कमलाकान्त झा, पिता–स्व0 लक्ष्मी ना0 झा				
10	327	3312	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.095	पंकज कुमार वो श्रवण कुमार, पिता–चन्द्रकान्त झा				

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
11	321	3313	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.01	पंकज कुमार झा वगैरह				
12	1648	3225	रैयती	आवासीय मकानमय सहन	0.01	सियाशरण सिंह वो देव नारायण सिंह, पिता–जंगबहादुर सिंह वगैरह				

कुल रकवा :– 0.71

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

स मा ह र्त्ता
–सह–
समुचित सरकार

ज्ञापांक 499 /भू–अ0, दिनांक 30.07.2019

प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :–अंचला अधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

प्रतिलिपि :–सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्त्ता, दरभंगा के बेवसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि :–सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि स्थानीय भाषा में दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :–महाप्रबंधक (तक0) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सामान्य प्रशाखा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि इसे जिला गजट के आगामी अंक में हू–ब–हू प्रकाशित कराते हुए जिला भू–अर्जन कार्यालय, दरभंगा को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करावेंगे।

प्रतिलिपि :–आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू–अर्जन के बेवसाईट पर अपलोड कराने एवं स्थानीय भाषा में दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

स मा ह र्त्ता
–सह–
समुचित सरकार